न्यायालय उपखण्डाधिकारी राजाखेडा जिला धौलपुर

पीठासीन अधिकारी – श्री देवी सिंह (आर.ए.एस.)

मूल वाद सं0 –13/22
व.मु.उन.

1. हरिसिंह पुत्र डोंगरसिंह उम्र 63 वर्ष जाति राजपूत निवासी ग्राम–बाजना तहसील राजाखेड़ा जिला धौलपुर ।

.....प्रार्थी

बनाम

1. रामसेवक पुत्र वेदरिया जाति राजपूत निवासी बाजना तह0 राजाखेडा
2. तहसीलदार राजाखेडा वहैसियत लैण्ड होल्डर।

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धाराः– 111 सपठित धारा 128 एल.आर.एक्ट 1956
सपठित धारा 151 CPC

उपस्थिति :–

1. विद्वान अधिवक्ता :– श्री आर.एस. चौहान अभिभाषक प्रार्थीगण।

निर्णय

मूल वाद सं. 13/22 दिनांक :– 11.2.2023

प्रार्थीगणों की ओर से उनके अभिभाषक द्वारा यह प्रार्थना पत्र इन तथ्यों के साथ पेश किया गया कि प्रार्थी की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 1126 रकबा 0.4047 हे0 वाके ग्राम कसियापुरा तहसील राजाखेडा के अभिलिखित खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी की उक्त आराजी से अप्रार्थी संख्या 1 का किसी भी प्रकार का कोई संबंध सरोकार नहीं है, और न कभी रहा है। प्रार्थी की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 1126 रकबा 0.4047 हे0 से सटी आराजी खसरा नम्बर 1128 अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी की आराजी है। अप्रार्थी रामसेवक बहुत ही शातिर किस्म का मुकद्मेबाज व्यक्ति है जो अपनी खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 1128 की आड़ में प्रार्थी की खातेदारी की आराजी 1126 के दक्षिण दिशा वाले भाग में यानि 1126 व 1128 के मध्य दक्षिण दिशा वाली मेढ को नष्ट कर प्रार्थी की खातेदारी की आराजी में अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण करने का प्रयास करता है कहता है कि मेरी जमीन आपकी खातेदारी में निकल रही है। प्रार्थी द्वारा कई बार अप्रार्थी से सीमाज्ञान के लिए कहा तो अप्रार्थी टालमटोल करता रहता है। पैमाइश के लिए तैयार नहीं होता है। बल्कि झगडा/फौजदारी को आमदा रहता है। हमेशा बाउन्ड्री डिस्प्यूट पैदा करते रहते। प्रार्थी बाउन्ड्री डिस्प्यूट को समाप्त करना चाहता है इस सम्बन्ध में अप्रार्थी संख्या 2 के यहां भी कई बार पैमाइश करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किए जा चुके है। लेकिन अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा समस्या का कोई भी समाधान नहीं किया जा रहा है। बाउन्ड्री डिस्प्यूट आज भी विद्यमान है। उपरोक्त स्थिति में प्रार्थी अपनी खातेदारी की आराजी और अप्रार्थी संख्या 1 की आराजी के मध्य सीमा एवं अन्य सीमाओं का सीमांकन कराना चाहता है तथा सीमा विवाद को स्थाई रूप से खत्म कराना चाहता है एवं न्यायालय श्रीमान के माध्यम से पुख्ता सीमा चिन्ह नक्शा अक्श/लट्ठा (मानचित्र) के अनुसार कायम कराना चाहता है। जिसका प्रार्थी अधिकारी है एवं दावेदार है। साथ ही भविष्य में सीमा विवाद पैदा न हो शांति भंग न हो। प्रार्थी सीमा चिन्ह का खर्चा वहन करने को तैयार है। प्रार्थाना पत्र के अन्त में प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा

खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 1126 की दक्षिण दिशा वाली भुजा जो अप्रार्थी सं. 1 की खतोदारी की आराजी संख्या 1128 से लगी हुई है के मध्य की सीमा रेखा निर्धारित करते हुए सीमा चिन्ह अप्रार्थी सं0 2 की उपस्थिति में कराये जाने के आदेश दिए जावे एवं अन्य अनुतोष न्यायानुकूल हो प्रार्थी को दिलाया जावे।

प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी द्वारा दस्तावेज नकल जमाबंदी खाता 272 सम्बत 2074–2077 खाता 228 सम्बत 2074–2077 बाके ग्राम कसियापुरा नकल नक्शा ट्रेस ख0नं0 1126,1128 वाके ग्राम कसियापुरा पेश किये है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 स्वयं रामसेवक न्यायालय में हाजिर । प्रार्थी कोई भी जबाव नहीं देना चाहते है। तथा अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा प्रार्थी के वाद के अनुसार प्रार्थना पत्र का निस्तारण किए जाने पर सहमति प्रकट दी। अप्रार्थी संख्या 2 न्यायालय में उपस्थित कोई जवाबदेही नहीं करना चाहते है। प्रार्थी के वाद के अनुसार निस्तारण किए जाने पर सहमति दी ।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों , साथ ही अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थी के वाद के अनुसार प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु प्रकट की गयी सहमति , पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया एवं प्रार्थी के अधिवक्ता को सुना गया । राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी सम्बत 2074–2077 बाके ग्राम कसियापुरा ख0नं0 1126 का हरिसिंह पुत्र डोंगरसिंह जाति राजपूत ग्राम कसियापुरा तहसील राजाखेड़ा जिला धौलपुर खातेदार काश्तकार है। एवं ख.न. 1128 के रामसेवक पुत्र वेदरिया ग्राम कसियापुरा खातेदार है। अतः उपलब्ध रिकॉर्ड , एवं पत्रावली के अवलोकन से प्रार्थना पत्र के तथ्यों की भली भॉति पुष्टि होती है। साथ ही अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थी के वाद के अनुसार प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु प्रकट की गयी सहमति के आधार पर हम विवाद को समाप्त करने के लिए एवं उचित न्याय के लिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर. एक्ट स्वीकार किया जाना उचित एवं न्याय संगत समझते है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धाराः– 111 सपठित धारा 128 एल.आर.एक्ट 1956 स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि तहसीलदार राजाखेडा प्रार्थी की खातेदारी की आराजी खं0न0 1126 वाके ग्राम कसियापुरा का सीमाज्ञान कराकर मौके पर पुख्ता सीमा चिन्ह (पत्थरगढी) प्रार्थी के खर्चे पर लगवाते हुए सीमाचिन्ह, पत्थरगढी के संचालन में अप्रार्थी संख्या 1 व्यवधान पैदा करे तो पुलिस इमदाद प्राप्त की जावे। तहसीलदार राजाखेडा को उक्त आदेश की पालना किये जाने हेतु परवाना जारी हो। तहसीलदार राजाखेडा उक्त आदेश की पालना रिपोर्ट अविलम्ब इस न्यायालय में प्रस्तुत करें।

यह निर्णय आज दिनांक 11.2.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर वाद तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

(देवी सिंह)
उपखण्डाधिकारी, राजाखेडा

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजाखेड़ा
जिला–धौलपुर (राज.)